

दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे
South East Central Railway

कार्मिक विभाग, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर
Personnel Department, Divisional Railway Manager Office, Bilaspur



अधिसूचना

विषय :- वर्ष 2025-26 के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे बिलासपुर मण्डल में अप्रेंटिस एक्ट-1961 एवं अप्रेंटिस नियम-1992 के अंतर्गत एक्ट अप्रेंटिसो का चयन ।

1. दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे बिलासपुर मण्डल में अप्रेंटिस एक्ट-1961 के अंतर्गत निम्नलिखित पदनामित ट्रेडों पर अप्रेंटिस के रूप में चयन (Engagement) के लिए बिलासपुर मण्डल हेतु पात्र उम्मीदवारों से <https://apprenticeshipindia.org> वेबसाइट पर दिनांक 25-02-2025 से 25-03-2025 (रात 23:59 बजे) तक ऑन लाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं ।

अ) रिक्तियों/पदों की संख्या (ट्रेड अनुसार) :-

| क्र | ट्रेड | अना. | ई. डब्ल्यू. एस. | अ. पि. व. | अ. जा. | अ. ज. जा. | कुल | भू. पू. सी. | दिव्यांग |
|-----|--|------|-----------------|-----------|--------|-----------|-----|-------------|----------|
| 1 | कारपेन्टर | 15 | 4 | 10 | 6 | 3 | 38 | 4 | 2 |
| 2 | कोपा (75 Divn.+25 HQ/Const) | 40 | 10 | 27 | 15 | 8 | 100 | 10 | 4 |
| 3 | ड्राफ्ट मैन (सिविल) | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 |
| 4 | इलेक्ट्रीशियन | 74 | 18 | 49 | 27 | 14 | 182 | 18 | 7 |
| 5 | इलेक्ट्रॉनिक/मैकेनिक | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 6 | फिटर | 84 | 21 | 56 | 31 | 16 | 208 | 21 | 8 |
| 7 | मशीनिष्ट | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | पेन्टर | 18 | 5 | 12 | 7 | 3 | 45 | 5 | 2 |
| 9 | प्लम्बर | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 | 25 | 3 | 1 |
| 10 | आर.ए.सी.मैकेनिक | 16 | 4 | 11 | 6 | 3 | 40 | 4 | 2 |
| 11 | शीट मेटल वर्कर | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी) (12 Divn.+15 HQ/Const.) | 11 | 3 | 7 | 4 | 2 | 27 | 3 | 1 |
| 13 | स्टेनोग्राफर (हिन्दी) (04 Divn.+ 15HQ/ Const.) | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 19 | 2 | 1 |
| 14 | डीजल मैकेनिक | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 15 | टर्नर | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | वेल्डर | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 19 | 2 | 1 |
| 17 | वायरमैन | 36 | 9 | 24 | 14 | 7 | 90 | 9 | 4 |
| 18 | रासायनिक प्रयोगशाला सहायक | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | डिजिटल फॉटोग्राफर (00 Divn. + 02 HQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | कुल | 337 | 84 | 224 | 128 | 62 | 835 | 84 | 33 |

2. शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता :-

- अ) अभ्यर्थी को 10+2 शिक्षा पद्धति के तहत 10 वी (मैट्रिक) या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए ।
ब) अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से संबन्धित ट्रेड में आई.टी.आई. की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

3. आयु सीमा :-

अभ्यर्थी की आयु दिनांक 25.03.2025 को 15 वर्ष से कम तथा 24 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। *अधिकतम आयु सीमा में अजा/अजजा के उम्मीदवारों को 5 वर्ष एवं अपिव के उम्मीदवारों को 3 वर्ष, दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिक के उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट होगी।

समुदायवार जन्म तिथि निम्नानुसार होनी चाहिये:-

| क्रम | समुदाय | अभ्यर्थी |
|------|-------------------------|--------------------------|
| 1. | अनारक्षित | 25/03/2001 to 25/03/2010 |
| 2. | अनुसूचित जाति | 25/03/1996 to 25/03/2010 |
| 3. | अनुसूचित जनजाति | 25/03/1996 to 25/03/2010 |
| 4. | अन्य पिछड़ा वर्ग | 25/03/1998 to 25/03/2010 |
| 5. | दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक | 25/03/1991 to 25/03/2010 |

* उम्र में छूट हाल का जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करने पर ही मिलेगी।

4. अप्रेंटिस प्रशिक्षण की अवधि एवं छात्रवृत्ति:-

चयनित अभ्यर्थी प्रशिक्षु के रूप में लगाए जाएंगे तथा उन्हें केवल 01 वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षुता/अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के नियमानुसार प्रशिक्षण के दौरान वजीफा/ छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग पूरा कर लेने के बाद उनका प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा।

5. चयन प्रक्रिया :-

प्रवीणता सूची बनाने हेतु निम्नलिखित मापदंड अपनाया जाएगा, अभ्यर्थी द्वारा मैट्रिक (न्यूनतम 50% अंक अहर्ता हेतु आवश्यक होगा) तथा आई.टी.आई. में प्राप्त अंक प्रतिशत को समान भारता देते हुये प्रवीणता सूची जारी की जाएगी। (स्थापना नियम क्रमांक 201/2017)। अभ्यर्थी आवेदन करते समय अपने 10वीं और आईटीआई (ITI) के अंक को पोर्टल पर योग्यता सेक्शन में निश्चित रूप से भरे अन्यथा आपके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा आपका आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा।

6. चिकित्सा परीक्षण :-

चयनित उम्मीदवारों को अप्रेंटिसिप अधिनियम 1961 और परिशिष्ट नियम 1992 के पैरा 4 (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार निर्धारित प्रमाण पत्र में दस्तावेज़ सत्यापन के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र लाने की सलाह दी जा सकती है। मेडिकल सर्टिफिकेट पर सरकार द्वारा अधिकृत केंद्रीय / राज्य शासन के अस्पताल के सर्जन डॉक्टर (राजपत्रित) से हस्ताक्षर होने चाहिए, तथा सहायक सर्जन से नीचे का नहीं होना चाहिए।

7. संबिदा :-

चयनित उम्मीदवार को अनुबंध देना होगा या, यदि वह नाबालिग है, तो उसके अभिभावक को नियोक्ता के द्वारा जारी शिक्छुता के अनुबंध में पालक / अभिभावक का हस्ताक्षर किया जाना है।

8. रोजगार की स्वीकृति का प्रस्ताव :-

प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात किसी भी प्रशिक्षु को किसी भी रोजगार के प्रस्ताव के लिए नियोक्ता बाध्य नहीं होगा और न ही प्रशिक्षु नियोक्ता द्वारा प्रस्तावित किसी भी रोजगार को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है की वे अप्रेंटिसिप एक्ट 1961 के तहत नियमों एवं अधिनियमों की भली भांति जानकारी प्राप्त कर लें।

9. भूतपूर्व सैनिक :-

10% आरक्षण के तहत चयनित भूतपूर्व सैनिक, उनके बच्चे एवं सशस्त्र बल जवानों के बच्चे जो उन्हें प्रदान किया गया है, अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के भूतपूर्व सैनिक को उनकी संबंधित श्रेणी में रखा जाएगा एवं उन्हें अप्रेंटिसिप के लिए नीचे दिये गए विवरण के अनुसार नियुक्त किया जाएगा।

- क) मृत सैनिक के बच्चे/ युद्ध के समय मारे गए/ दिव्यांग सैनिक सहित, ख) भूतपूर्व सैनिक के बच्चे, ग) सेवारत अधिकारी के बच्चे, घ) भूतपूर्व सैनिक, ङ) सेवारत जवान के बच्चे।

10. आवेदन प्राप्ति के अंतिम तिथि :-

पूर्ण रूप से भरे गए ऑन लाइन आवेदन को केवल ऑनलाइन प्रक्रिया से दिनांक 25-02-2025 से 25-03-2025 को 23:59 बजे तक ही स्वीकार किया जाएगा। कृपया आवेदन की दैहिक (Physical) प्रति इस कार्यालय को न भेजें।

11. अभ्यर्थी के लिए सामान्य निर्देश :-

- (क) आवेदन केवल निम्नलिखित वेब के माध्यम से ही करें, वैबसाइट का पता - <https://apprenticeshipindia.org>
(ख) यदि अभ्यर्थी अजा/अजजा/अपिव समुदाय से हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हाल ही का जाति प्रमाण पत्र को वेब पोर्टल पर अपलोड करें।
(ग) किसी भी प्रकार के पैरवी या दबाव डालने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
(घ) आवेदक को प्रशिक्षु के रूप में जवाइनिंग के पहले आने जाने पर किसी भी प्रकार का टीए /डीए नहीं दिया जाएगा।
(ङ) यदि अभ्यर्थी सत्यापन के लिए अपेक्षित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में अक्षम हो एवं किसी प्रकार के विसंगति देखी जाती है तो उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

- (च) यदि रेल प्रशासन को ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि अभ्यर्थी/चयनित अभ्यर्थी ने गलत /जाली /झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है तो रेल प्रशासन किसी भी चरण में, चयन होने के बाद जारी प्रशिक्षण के दौरान भी बिना किसी सूचना के बर्खास्त करने का अधिकार रखता है।
- (छ) रेल प्रशासन अभ्यर्थी का चयन न होने या बुलाबा न मिलने पर जवाब भेजने के लिए किसी प्रकार का उत्तदायित्व नहीं लेता है। इस कार्यालय में जमा किए गए आवेदन के संबंध में किसी भी व्यक्ति या संगठन से पत्राचार नहीं किया जाएगा।
- (ज) जो दिव्यांग का लाभ लेना चाहते हैं वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें (अर्थात् केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी)
- (झ) अभ्यर्थी के आवेदन की स्वीकृति, अस्वीकृति, पात्रता संबंधित निर्णय एवं चयन के प्रकार हेतु रेल प्रशासन का निर्णय अंतिम माना जाएगा।
- (ञ) प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी /द. पू. म. रेलवे के पत्र संख्या पी-एचक्यू/आरयूएल/101/10(ई-50910) दिनांक 13-02-2024 के पैरा (5) के अनुसार, "अनारक्षित पद/कोटा के लिए, कोई भी अनु. जाति/अनु. जन जाति/अ.पी.व./ई.डब्ल्यू.एस./अनारक्षित से संबंधित उम्मीदवार का चयन योग्यता के अनुसार किया जाता है, तदनुसार अनु. जाति/अनु. जन जाति/अ.पी.व./अनारक्षित जो भी योग्यता के अनुसार उपलब्ध है, उसे रिक्त ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षित पद/कोटा के विरुद्ध नियुक्त किया जा सकता है।
- (ट) यदि पोर्टल पर ईडब्ल्यूएस / भूतपूर्व सैनिक का विकल्प उपलब्ध नहीं है तो अपने वास्तविक वर्ग(जैसे- UR, OBC, SC, ST) से पोर्टल पर आवेदन करें एवं ई.डब्ल्यू.एस / भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र को भौतिक (physical) रूप से इस कार्यालय में भेजे /जमा करें।

12. सहायता हेतु:-अधिक जानकारी के लिए सोमवार से शुक्रवार के मध्य कार्यालयीन दिवस में प्रातः 10:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक इस मोबाइल नंबर- 9752876639 में सम्पर्क किया जा सकता है।

नोट:-किसी संशय/विरोधाभास कि स्थिति में अधिसूचना की अंग्रेजी प्रारूप ही मान्य होगा।

रुहीना
25/02/25
(रुहीना तुफैल खान)
मंडल कार्मिक अधिकारी
वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी
दिनांक :-25-02-2025

सं-पी/बिलासपुर/भर्ती/एक्ट अप्रेंटिस/2025-26/E-72152

प्रतिलिपि :-

1. जिला रोजगार अधिकारी/बिलासपुर(छ*ग*), 2. प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी/द.पू.म.रे./बिलासपुर को सूचनार्थ,
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) /द.पू.म.रे./बिलासपुर 4. समस्त शाखा अधिकारी, सुपरवाइजरी इकाई, बिलासपुर मंडल, 5.मंडल समन्वयक द.पू.म.रे./मजदूर कांग्रेस, बिलासपुर मंडल, 6.मंडल सचिव, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अभा. अजा. /अजजा. रेल कर्मचारी संघ/बिलासपुर मंडल, 7. सहायक कार्मिक अधिकारी-I, II एवं III, 8. समस्त कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक /बिलासपुर मंडल एवं 9. सूचना पटल।